



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 165 / 10 एल.ए.  
सेवा में

दिनांक 27/1 / 2022

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वनप्रभाग  
गोपेश्वर।

**विषय-** जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग( तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी. 3.00 से चटियाला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के किमी. 16.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2912/FU/UK/ROAD/18867/2016 देहरादून दिनांक 24.06.2021,

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0 /06/62/2016 एफ0सी0/1463 दिनांक 16.12.2016 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.614 है. ग्राम सुनाली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण ए वं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	अनुपालन आख्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-सुनाली की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। संलग्न:-1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन.पी.वी. की धनराशि CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न:-1
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनच बढता प्रस्तुत की जाए।	एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होने पर बढी हुई धनराशि जमा कर दी जायेगी। संलग्न:-1
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी.दिनांक 05.02.2019 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	विभाग द्वारा एन.पी.वी. एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्न:-1

5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां -जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip plantation की जायेगी इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर व विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा। संलग्न:-1
6	State Govt may provide original copy of revised villahe Level Committee proceeding under FRA and digital map of the forest land proposed for diversion and the land identify for CA which have been uploaded in digital web portal	प्रस्तावित मार्ग का FRA एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं डिजिटल मानचित्र की प्रति संलग्न कर दिया गया है। संलग्न:-1

अतः उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों का अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों का अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण की

(इं. वी. पी. नौटियाल)  
अधिकासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
उत्तराखण्ड  
कर्मप्रयाग।

पत्रांक 165 / 10 एल.ए.

दिनांक 27/ / 2022

प्रतिलिपि:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दरानगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:-प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष "नियोजन-III" लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता स्तर - I लो0नि0वि0 पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियन्ता 7वाँ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिकासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्मप्रयाग।

## AGENCY COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 13-10-2017

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	113101772015691
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt., Cham Cham oil
Amount(in Rs)	1520908/-

Amount in Words: Fifteen Lakh Twenty Thousand Nine Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code	CORP0000633
Pay to Account No	1508913101772015691

Bank Name &amp; Address

Corporation Bank  
FCS Bangalore

Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

प्रतिपत्र/Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन  
Application for RTGS/NEFT Remittance



भारतीय स्टेट बैंक  
STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch

11 NOV 15:20:40

दिनांक/Date

FCS Bangalore

Received From

P.W.D. Karanprayag से प्राप्त किया

चेकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए  
By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

प/ON

Corporation Bank

शाखा/Branch: FCS Bangalore

के पक्ष में/Favouring: O. Hrudal Campa

IFSC Code

CORP0000633

A/c No

1508913101772015691

शुद्ध (रुपये)/ Amount ₹

1520908

बैंक के शुल्क/ Bank's charges ₹

-

कुल मूल्य/ Total ₹

1520908

रुपये (शब्दों में) / Rupees (in words): Fifteen Lakh

Twenty thousand nine hundred and eight only.

02 NOV 2017

P. A Hoodal

P. C. Hoodal  
सहायक अभियन्ता  
प्रा. खण्ड लोअरनिवि  
कर्मप्रयाग (बनोली)

13.10.2017  
28.01.2018

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोअरनिवि  
कर्मप्रयाग

अधिसानी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोअरनिवि  
कर्मप्रयाग

# II कार्यालय प्रमागीय वनाधिकारी, बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर II

Email-dfo badrinath uttaranchal.in Phone no- 01372-252175

पत्रांक 190 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 16/09 2017

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,

प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषय- जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (विक्रम कण्डार मोटर मार्ग) के किमी0 3.00 से चटियाला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुए सोमला कण्डार मोटर मार्ग के किमी0 16.00 किमी0 तक मोटर मार्ग के निर्माण 1.307 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यर्पण।

संदर्भ- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 1656 / F.P./U.S./Road / 10177 / 2015 दिनांक 22.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको एक इस कार्यालय को सम्बन्धित है के क्रम में अवगत करना है कि भारत सरकार की पत्र सं0-08वीं/यू0पी0पी0/06/62/2016/एफ0सी0/1463, दिनांक 16.12.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप शर्तों की अनुपालन आस्था/डिमाण्ड मात्र पत्र इस कार्यालय की पत्र सं0 3545/12-1 दिनांक 12.01.2017 से प्रेषित की गई, परन्तु धनराशि जमा न होने के कारण नये वित्तीय वर्ष में अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने पर पुनः डिमाण्ड माग प्रेषित किया जा रहा है-

1. शर्त सं0-01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 'प्रस्तावित भूमि के बदले 2.614 हे0 ग्राम सुनाली स्थित सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक, रखरखाव हेतु देय धनराशि: रू0 662,209.00(रू0 छः लाख बासठ हजार दो सौ नौ) मात्र जमा की जानी है एवं उक्त स्थित सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नानांतरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।
2. शर्त सं0-02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू0 8,56,699.00(रू0 आठ लाख अठ्ठावन हजार छः सौ निम्नलिखित) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	हे0	देय धनराशि (लाख रू0 की दर पर 3 X 4)
I	2	3	4	5
V	0.2 (Open forest)	6,57,000.00	1,307	8,58,699.00

3. शर्त सं0-03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुभार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बढ़ता प्रस्तुत करनी होगी।
4. शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. शर्त सं0-05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ समब हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की बचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. may provide original copy of revised village Level Committee proceeding under FRA and digital map of the forest land proposal for diversion and the land identify for CA which have been uploaded in online web portal.

अतः आप भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिशेषित शर्तों की पूर्ण विन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिशेषित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या विविधित स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

पत्रांक- / दिनांक।

प्रतिनिधि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

P.C. Mehta

29.01.2017

सहायक अभियन्ता

प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0

कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता

प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0

कर्णप्रयाग

मधु दीप

प्रमागीय वनाधिकारी

बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर


प्रमागीय वनाधिकारी

बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

AD


(a). Village: Sunab


(b). Area(In ha.): 2.614


(c). Copy of KML file of the patch:  [View File](#)

(d). Khasra details: 1458, 1456, 1549

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof: 

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: 

(h). Copy of non encumbrance certificate for the forest land: 

No of entry of mutation details must be ~~se~~quired to total no. of patches

P.C. Affected

सहायक अभियन्ता  
प्रांतीय स्वयं लोनिवि  
कर्मप्रयाग  
29.01.2022

अधिकारी अभियन्ता  
प्रांतीय स्वयं लोनिवि  
कर्मप्रयाग

Online Date — 5/4/2018 to nodal office

श्री 0

उत्तराखण्ड सरकार, जलवायु-पर्यावरण-करोड़ी-नौली-हिण्डोल, हान हान  
कार्यालय देहरादून के पत्र सं-08बी/यूसीसी0/06/62/2016/एफ0सी0/1463 दिनांक  
16.12.2016 को शर्त सं-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर  
प्रस्तावित जनपद चमोली के अनुसूचित क्षेत्रों-कण्डारा-चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुये  
सौनली कण्डारा नगर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1:307 है0 वन भूमि के साथे क्षतिपूर्क  
योजनाओं के एकज में ग्राम सुनाली प0बू0 नंगराली तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तगत चिन्हित  
ख0ख0सं0-06 के खसरा सं0-1458 रकबा 1.720 है0 भूमि नध्ये 1.600 है0 एवं खसरा  
सं0-1456/1549 रकबा 11.033 है0 भूमि नध्ये 1.014 है0 भूमि अर्थात कुल 2.614 है0 भूमि, जो कि  
उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडर श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, को वन  
विभाग के पक्ष नानान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-2173/XVIII(II)  
/2012-16 (120) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

अतएव वन संरक्षक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय  
कार्यालय देहरादून के पत्र सं-08बी/यूसीसी0/06/62/2016/एफ0सी0/1463 दिनांक  
16.12.2016 को शर्त सं-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर  
प्रस्तावित जनपद चमोली के अनुसूचित क्षेत्रों-कण्डारा-चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुये  
सौनली कण्डारा नगर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1:307 है0 वन भूमि के साथे क्षतिपूर्क  
योजनाओं के एकज में ग्राम सुनाली प0बू0 नंगराली तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तगत चिन्हित  
ख0ख0सं0-06 के खसरा सं0-1458 रकबा 1.720 है0 भूमि नध्ये 1.600 है0 एवं खसरा  
सं0-1456/1549 रकबा 11.033 है0 भूमि नध्ये 1.014 है0 भूमि अर्थात कुल 2.614 है0 भूमि, जो कि  
उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडर श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, को वन  
विभाग के पक्ष नानान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0-2173/XVIII(II)  
/2012-16 (120) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

P.C-rtffested

(आशीष जोशी),  
जिलाधिकारी,  
चमोली।

MJ  
28.01.2017  
सहायक अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड लोअनिडि  
कर्णप्रयाग

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: SP/9/छबीस-34 (2016-2017) गोपेश्वर दिनांक: 13 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर  
कॉरिडोर कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल नण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनधिकारी, वर्दनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. मुख्य अभियन्ता, जल संकलन चमोली।
9. पर्यटन विभाग, प्रांतीय खण्ड, लोअनिडि कर्णप्रयाग।

Handwritten signature and initials.

अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड लोअनिडि  
कर्णप्रयाग

वे-सि/16LA  
प्रतिभा  
उप-सचिव  
वे-सि/16LA  
28/01/2017  
अधीनस्थ  
उप-सचिव  
वे-सि/16LA  
28/01/2017  
अधीनस्थ  
उप-सचिव  
वे-सि/16LA  
28/01/2017  
अधीनस्थ  
उप-सचिव

P.C-rtffested  
सहायक अभियन्ता  
प्रा. खण्ड लोअनिडि  
कर्णप्रयाग (चमोली)




परियोजना का नाम- जनपद चमोली में तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 3 से चटिंग्याला कोटी नोली हिण्डोली हेतु हुए सोलना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग केनिर्माण हेतु 1.307 है. वनभूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।


एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।


  
अमान  
लो.नि.वि.

  
कमिष्ठ अभियन्ता  
लो0नि0वि0  
कर्णप्रयाग

  
सहायक अभियन्ता  
लो0नि0वि0  
कर्णप्रयाग

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
कर्णप्रयाग

R. G. Affected

  
28.01.2022  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
कर्णप्रयाग

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
कर्णप्रयाग


श्री 5

परियोजना का नाम- जनपद चमोली में तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 3 से चटिंग्याला कोटी नोली हिण्डोली हेते हुए सोलना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग केनिर्माण हेतु 1.307 है. वनभूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।


रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस-पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।


  
अ.मनि  
लो.नि.वि.

  
कर्मिष्ठ अभियन्ता  
लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

  
सहायक अभियन्ता  
लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

P-C Affected

  
28.01.2012  
सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

FORM-I

(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

No.

Dated : 14-01-2021

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 1.367 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for Construction of **Tefna kandara Sonia kandara via chatingyaha-koti-nauli-hindoli motor road in district chamoli** falls within jurisdiction of Kandara Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the 1.367 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23.3(A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Sanjay Kumar  
District Collector  
(Kandara, Chamoli, Uttarakhand)

P.C. Affected

अधिकासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोनिवि  
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोनिवि  
कर्णप्रयाग

14  
14.01.2021





हे0.वनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई नामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं एतत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करत हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरणों उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अक्षयश  
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति

तहसील-  
जनपद-

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अक्षयश  
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति  
तहसील-  
जनपद-

P.C. - 18/11/2022

सहायक अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड लोनिवि  
कर्णप्रयाग

अधिकांसी अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड लोनिवि  
कर्णप्रयाग



प्रपत्र-23.1

दिनांक 8-1-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत ..... कछहरा (चिदामरा, कोरी नोम, दिंडेली, बोनोली)  
मुनोली

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री लखवार सिंह राजत	<i>[Signature]</i>
2-	श्री लखार सिंह राजत	<i>[Signature]</i>
3-	श्री लखार सिंह राजत	<i>[Signature]</i>
4-	श्री मनोहर सिंह राजत	<i>[Signature]</i>
5-	श्री मोहन सिंह राजत	<i>[Signature]</i>
6-	श्री गुन सिंह राजत	<i>[Signature]</i>
7-	श्री गोग सिंह राजत	<i>[Signature]</i>
8-	श्री निराला चंद पंत	<i>[Signature]</i>
9-	श्री बजा पंत	<i>[Signature]</i>
10-	श्री लखार पंचाड पंत	<i>[Signature]</i>
11-	श्री राजेश पंत	<i>[Signature]</i>
12-	श्री लखार पंचाड पंत	<i>[Signature]</i>
13-	श्री लखार चंद	<i>[Signature]</i>
14-	श्री मंगल पंत	<i>[Signature]</i>
15-	श्री लखार	<i>[Signature]</i>
16-	श्री लखार	<i>[Signature]</i>
17-	श्री लखार	<i>[Signature]</i>
18-	श्री लखार	<i>[Signature]</i>


80/-

ग्रामप्रधान


अध्यासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोनिठिदि  
कर्णप्रयाग

P.C. Affected

*[Signature]*  
19.01.2015सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोनिठिदि  
कर्णप्रयाग



डिजिटल मैप - जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (लेफ्टना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि०मी० 3 से चटियाला कोटी नौली हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के कि०मी० 16 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



अधिकांश अति-वृद्ध प्राचीन वृक्ष, लक्ष्मि, डि. कर्णप्रयाग (चमोली)

सुनार गा. प्रयाग, चमोली


P.C. Mehta

28.01.2022

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोनिठोवा  
कर्णप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोनिठोवा  
कर्णप्रयाग

डिजिटल मैप - जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (लेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि०मी० 3 से चटिग्याला कोटी नौली हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के कि०मी० 16 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



Proposed Plantation

*(Handwritten signature)*

प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल

अधिसूचना संख्या: 19.01.2022

सहायक अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
 कर्णप्रयाग

अधिसूचना संख्या: 19.01.2022

अधिसूचना संख्या: 19.01.2022

अधिसूचना संख्या: 19.01.2022

